FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

गुड्डी देवी बनाम जोगेन्द्र सिंह आदि

किस्म मुकदमा 148 ए सी.पी.सी नम्बर 11 सन 2024

जी.सी.एम.एस नम्बर 2024/36

तामिल हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
08/02/24	प्रार्थिया गुड्डी देवी पत्नी महेन्द्र सिंह पुत्री गुरमुख सिंह जाति बावरी निवासी 9 एफ ए माझीवाला हाल आबाद 59 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्री गंगानगर की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जोशी के द्वारा कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि चक 59 एफ बी के खाता संख्या 09/09 की 5.668 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद या स्थगन प्रार्थना पत्र अप्रार्थी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय में पेश किया जाता है तो सुनवाई से पूर्व प्रार्थी को सूचित किया जाकर, सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ही कोई निर्णय पारित किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिए पंजीकृत डाक से तलब किया जावे। इस सम्बन्ध मे कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे । उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर	
3/07/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिया के द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 148(क) CPC पेश किए हुए 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)